न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16 / 2021
दायर दिनांक : 02.09.2021
निर्णय दिनांक : 04.01.2024

उनवान

1. गोपीलाल पिता भगवानलाल मेनारिया निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 भूमिधारीतहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– 1. श्री मांगीलाल बैरवा, वकील प्रार्थी

: निर्णय :

वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :–

यह कि ग्राम चोरवडी तहसील भूपालसागर की हाल आराजी सं. 1064 रकबा0.11 है., आ.सं. 1092 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1933 / 1084 रकबा 0.04 है., आ.सं. 1934 / 96 रकबा 0.14 है. कुल किता 4 रकबा 0.34 है. भूमि प्रार्थी के खातेदारी में स्थित होकर कब्जे काश्त की है। सबूत के लिये नकल चालू जमाबंदी, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पासबुक की फोटो प्रति संलग्न है।

यह कि वादग्रस्त आराजियात में खातेदार काश्तकार की कॉलम 1 में प्रार्थी का नाम खगोर पिता भगवानलाल ब्राहम्ण राजस्व कर्मचारियों के द्वारा लिखा गया है जबकि प्रार्थी का असल नाम गोपीलाल पिता भगवानलाल ब्राहम्ण मेनारिया है लेकिन प्रार्थी को गोपीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में गोपीलाल पिता भगवानलाल ब्राहम्ण दर्ज है इस कारण से प्रार्थी को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपलब्ध योजनाओं का लाभ लेने हेतु राजस्व कर्मचारियों के पास राजस्व रिकार्ड का मिलान करने जाना पडता है उस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पडता है। इस कारण से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में खेगार पिता भगवानलाल ब्राहम्ण (मेनारिया) किये जाने का आदेश फरमाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में खेगार पिता भगवानलाल सा.दे. खातेदार के स्थान पर शुद्धाशुद्धि करके गोपीलाल पिता भगवानलाल ब्राहम्ण (मेनारिया) किये जाने का आदेश जारी फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गए। बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी ने जवाब पेश किया। तहसीलदार भूपालसागर [illegible] प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा ग्राम चोरवडी में स्थित हाल आ.सं. 1064 रकबा 0.11 है., [illegible] रकबा 0.05 है., आ.सं. 1933 / 1084 रकबा 0.04 है., आ.सं. 1934 / 96 रकबा 0.14 है. कुल कि[illegible] रक[illegible]34 है. में अपना नाम खेगार पुत्र भगवान के बजाय सही नाम गोपीलाल [illegible] उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य पक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। राज्य पक्ष प्रभावित नहीं हो[illegible] सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरपंच, ग्राम पंचायत, चोरवडी के पत्र दिनांक 18.11.2025 में खेगार व गोपीलाल एक ही व्यक्ति होने का अंकन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड, नि[illegible] आयोग का पहचान पत्र और बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम गोपीलाल पिता भगवान अंकित है। ग्राम पंचायत के पत्र के अनुसार प्रार्थी का सही नाम गोपीलाल ही है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम खेगार पुत्र भगवान दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपना नाम खेगार पिता भगवान के स्थान पर गोपीलाल पिता भगवान ब्राहम्ण (मेनारिया) नाम इन्द्राज दुरूस्त करवा सकता है। वादग्रस्त आराजियात के अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.20 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थीगण के इकबालिया जवाब एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम ताणा कि सरहद में स्थित भूमि खाता सं0 92 आ.सं. 1064 रकबा 0.11 है., आ.सं. 1092 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1933/1084 रकबा 0.04 है., आ.सं. 1934/96 रकबा 0.14 है. कुल किता 4 रकबा 0.34 है. में प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम खेगार पिता भगवान के स्थान पर गोपीलाल पिता भगवान ब्राहम्ण (मेनारिया) दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.20 15:03:30 IST
Reason: SelfAttested